

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: संशोधित कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों में निम्नानुसार कॉलम संख्या 05 के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	विषय	आदेश दिनांक एवं आदेश में क्र.सं.	वांछित संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	दान सिंह, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, (अलवर)	कृषि	16.10.2020 क्र.सं. 199	तदर्थ/अस्थायी नियमित आदेश में इनके नाम में दान सिंह चौधरी के स्थान पर दानसिंह संशोधित पढ़ा जावें।
2.	रघुवीर राय, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राजपुरा (श्रीगंगानगर)	कृषि	16.10.2020 क्र.सं. 201	तदर्थ/अस्थायी नियमित आदेश में इनके नाम में रघुवीर सिंह के स्थान पर रघुवीर राय संशोधित पढ़ा जावें।
3.	अजयपाल, सेवानिवृत्त एबीईईओ, बानसूर (अलवर)	कृषि	16.10.2020 क्र.सं. 66	तदर्थ/अस्थायी नियमित आदेश में इनके नाम में अजयपाल शर्मा, के स्थान पर अजयपाल संशोधित पढ़ा जावें।
4.	अनिल कुमार, प्रधानाचार्य, राजाखेड़ा (धौलपुर)	कृषि	16.10.2020 क्र.सं. 67	तदर्थ/अस्थायी नियमित आदेश में इनके जन्मतिथी में दिनांक: 04.03.1963, के स्थान पर 04.03.1962 संशोधित पढ़ा जावें।

शेष नियम व शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/कृषि संकाय/नियमितिकरण/2020/270

दिनांक: 10.11.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित संभाग मुख्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल-शिक्षा)
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर